[3/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 171]

-27-

25

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांकः एफ 19-196/2003/1/4 भोपाल, दिनांक 28 जून 2004

प्रति

शासन के समस्त विभाग
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

विषयः शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों एवं परियोजनाओं आदि का नामकरण राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरूषों के नाम करने हेतु गठित जिला स्तरीय समिति का पुनर्गठन बावत।

संदर्भः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 19-31/1998/1/4 दिनांक 19 मई 1998 तथा परिपत्र क्रमांक एफ 19-196/2003/1/4 दिनांक 10 फरवरी, 2004

शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों एवं परियोजनाओं आदि का नामकरण राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरूषों के नाम करने हेतु इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 19-31/1998/1/4 दिनांक 19 मई 1998 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति का राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार पुनर्गठन करता हैः

1. जिले का प्रभारी मंत्री	-	अध्यक्ष
2. स्थानीय सांसद अथवा सांसद प्रतिनिधि	-	सदस्य
3. जिले के समस्त विधायक (चाहे उनमें से कोई सदस्य शासन में मंत्री ही क्यों न हो)	-	सदस्य
4. स्थानीय निकायों के अध्यक्ष/महापौर	-	सदस्य
5. विकास प्रधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई हो तो)	-	सदस्य
6. संबंधित जिले के कलेक्टर	-	सदस्य, संयोजक

2/ उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था के प्रतिनिधि, जिन्हें अध्यक्ष, उपरोक्त समिति के सम्बद्ध करना चाहे, समिति के सदस्य होंगे।

मार्गदर्शी सिद्धांतः

1. समिति राष्ट्रीय स्तर के ऐसे प्रसिद्ध महापुरूषों के नाम पर ही भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिये सक्षम होगी जो सर्वविदित होंगे।
2. समिति उन्हीं भवन, संस्था या स्थान का नामकरण करने हेतु सक्षम होगी जिनके नामकरण के लिए शासन के किसी विभाग, उपक्रम/निगम या मण्डल को किसी अधिनियम अथवा नियम के अधीन नामकरण करने की शक्तियां प्रदत्त न हो।

26

3. समिति उन्हीं भवन, संस्था या स्थान का नामकरण करने के लिये सक्षम होगी जिनका नामकरण पूर्व में नहीं किया गया हो। पूर्व में किये गये नामकरण में परिवर्तन करने के लिए समिति सक्षम नहीं होगी।
4. समिति द्वारा उक्त प्रकार के स्थानों के नामकरण के लिए एक बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से नामकरण करने का अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
5. समिति द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा उक्त प्रकार के भवन, संस्था एवं सार्वजनिक स्थल के नामकरण के बारे में अधिसूचना जारी की जायेगी।

4/ जिन प्रकरणों में पूर्व से किये गये नामकरण का परिवर्तन अथवा उपर्युक्त समिति द्वारा किये गये नामकरण में परिवर्तन या किसी क्षेत्रीय स्तर के व्यक्ति विशेष के नाम पर नामकरण किया जाना है, तो उन प्रकरणों में नाम परिवर्तन/नामकरण में उपर्युक्त गठित समिति सक्षम नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा प्रशिक्षण विभाग) के ज्ञापन क्रमांक एम 8-39/88/9/49 दिनांक 21 अप्रैल 1989 क्रमांक 1158/993/1/4 दिनांक 29 अप्रैल 1993 एवं ज्ञापन क्रमांक एम 19-143/95/1/4 दिनांक 27 जनवरी, 1996 के अनुसार शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किये जायेंगे तथा समन्वय में मान. मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन लेकर प्रशासकीय विभाग द्वारा नामकरण/नाम परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस. एस. वानखड़े)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 19-196/2003/1/4 भोपाल, दिनांक 28 जुन 2004

प्रतिलिपि:

1. मान. मुख्यमंत्रीजी के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2. निज सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश शासन
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

(एस. एस. वानखड़े)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग